



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40170-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 3339 वर्ष 2025

राहुल ठाकुर

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : अख्तर अली, विवेक कुमार यादव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : औशिम लूथरा, ए.के. गोयल, ए.सी.एस.सी.,

इरशाद हुसैन, जे. एन. मौर्य

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

याची के अधिवक्ता द्वारा इस याचिका को वापस लेने की प्रार्थना की गई। तदनुसार, यह याचिका वापस लिए जाने के कारण निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

दिनांक : 23 फरवरी, 2026

एन.डी.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”